क्रमांक-8

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 2011 (फाल्गुन 12, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 100 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश के निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से अधिक राशि की वसूली जाने,

(2) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के वार्ड क्र.-8 में सड़क व नाली का निर्माण करने,

(3) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर जिले सहित प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने,

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में ढोंगा नामक मैदान का रखरखाव न होने,

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने राजगढ़ जिले में पशुधन बीमा योजना लागू करने,

(6) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने सतना जिले के न्यू रामनगर में पेयजल संकट होने तथा

(7) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य ने सेमरिया क्षेत्र में पेयजल संकट होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने श्री दिवारीलाल रावत, सहायक उप निरीक्षक की डकैत मुठभेड़ में हुई संदेहजनक मौत की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन (दिनांक 25 जनवरी, 2006 द्वारा न्यायमूर्ति श्री बी.एम. गुप्ता, एकल सदस्य, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) पटल पर रखा।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण, वर्ष 2008-09 तथा

(ख) (i) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10

(ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10,

(iii) एम.पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10, तथा

(iv) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10

पटल पर रखे।

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने सतना जिले की जनपद पंचायत सोहावल के ग्राम पंचायत झाली के सचिव द्वारा पत्नी सहित आत्महत्या किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं की नहरें क्षतिग्रस्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बरखेड़ा की मा. शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम पाडली खाती की मा. शाला का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम काला तलाई के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम बामलावे के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने तथा

(ङ) ग्राम तुमडीयाखेड़ी के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(2) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की कटनी नगर में -

(क) सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जाने,

(ख) इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने,

(ग) जिला चिकित्सालय में एम.आर.आई. एवं सी.टी. स्केन मशीन लगाये जाने तथा

(घ) पैरा मेडिकल कालेज खोले जाने,

(3) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) ग्राम मोहाना की अनुसूचित जाति बस्ती में विद्युतीकरण किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत मेरहा के ग्राम श्रीशोभन में प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत बनहरी के मजरा दुबघटा में प्राथमिक शाला खोले जाने,

(घ) नगर में पंडवन नदी से पानी की सप्लाई प्रारंभ कराये जाने,

(ङ) ग्राम अहिरगंवा में हाई स्कूल खोले जाने,

(च) ग्राम पहाड़ीखेड़ा में उप-तहसील खोले जाने,

(छ) ग्राम बृजपुर में स्थापित आयुर्वेदिक औषधालय को इटवांखास में स्थानांतरित किये जाने,

(ज) ग्राम पडरहा से नाहरपुर के बीच नाले पर स्टापडेम बनाये जाने तथा

(झ) बंगाली समाज का सर्वे कराया जाकर जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने,

(4) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम वासरखेड़ा में हाईस्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम हीरापुर में हाईस्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम जमाड़ा से ग्राम खैरी सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने तथा

(घ) ग्राम आमगांव के उप-स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,

(5) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम शहर के -

(क) मध्य बनी पुलियों को चौड़ा किये जाने,

(ख) वार्ड क्र. 19 धीरज शाह नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(ग) वार्ड क्र. 19 धीरज शाह नगर में पेयजल की व्यवस्था कराये जाने,

(घ) राजीव नगर में पक्का नाला निर्माण किये जाने,

(ङ) वार्ड क्रमांक 27 दिलीप नगर में सड़क निर्माण किये जाने,

(च) राजेन्द्र नगर, हनुमान मंदिर के पास नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने तथा

(छ) दिलीप नगर से मुक्ति धाम तक सड़क निर्माण कराये जाने एवं

(6) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के बेगमगंज नगर से सागर-भोपाल के लिये बाय-पास सड़क निर्माण कराये जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

6. स्वागत-उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सुरेश पचौरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया।

7. जल संसाधन मंत्री का प्रश्न संबंधी वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 23 नवम्बर 2010 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 99 (1605) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव - "राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं" पर दिनांक 1 मार्च, 2011 को हुई चर्चा का निम्न क्रमानुसार पुनर्ग्रहण हुआ :-

(35) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, मुख्यमंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य द्वारा धान खरीदी में बोनस न देने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(अपराह्न 1.55 से 3.35 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती मीरा दीपक यादव, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तद्नुसार, गैर-सरकारी सदस्यों के अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये दिनांकवार निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2011

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-24)	श्री विश्वास सारंग	1 घन्टा
2.	(क्रमांक-34)	चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी	45 मिनिट
3.	(क्रमांक-72)	डॉ. निशिथ पटेल	45 मिनिट

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-31)	श्री अंतर सिंह आर्य	45 मिनिट
2.	(क्रमांक-43)	श्री प्रताप ग्रेवाल	1 घण्टा
3.	(क्रमांक-56)	श्री देवेन्द्र वर्मा	45 मिनिट

श्रीमती मीरा दीपक यादव, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2011 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री कमल पटेल
(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्री बृजेन्द्र सिंह
(5) श्री ताराचंद बावरिया
(6) श्री पारस सकलेचा

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2011 (फाल्गुन 13, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2011